रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 1997/भाद्र 24, 1919
No. 49] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 1997/BHADRA 24, 1919

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1997

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार विनियम, 1997

एन एच ए आर 12011/11/95-प्रशासन.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार पर किए खर्च की प्रतिपूर्ति की हकदारी के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं लागू होना

1. इन विनियमों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार विनियम, 1997 कहा जाएगा।
2. ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
3. ये प्राधिकरण में सेवारत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अभिप्रेत न हो, निम्नलिखित अपेक्षित हैं :—

(क) अनुमोदित अस्पताल से अभिप्राय विनियम (4) के उप-विनियम (3) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अस्पताल, औषधालय, प्रसूति अथवा बाल कल्याण केन्द्र या क्लिनिक से है।

(ख) 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य या किसी अन्य अधिकारी से होगा।

(ग) किसी अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में 'परिवार' से अभिप्राय उस अधिकारी या कर्मचारी की पत्नी या पति जैसा भी मामला हो, से होगा और इसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे :—

(i) उसके माता-पिता।

(ii) 25 वर्ष से कम आयु के पुत्र जिसमें दत्तक पुत्र और सौतेले पुत्र भी शामिल होंगे तथा पुत्रियां जिसमें दत्तक और सौतेली पुत्रियां भी शामिल होंगी जो अल्प-वयस्क, अविवाहित अथवा विधवा हैं ।

(iii) अवयस्क भाई एवं बहनें ।
यदि वे अधिकारी अथवा कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित हैं ।

(iv) 'अधिकारी या कर्मचारी' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो प्राधिकरण के पूर्णकालिक रोजगार में हैं ।

(v) 'वेतन' से अभिप्राय मूल वेतन, विशेष वेतन , मंहगाई वेतन अथवा चिकित्सा के समय अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लिए जा रहे वेतन के रूप में वर्गीकृत अन्य परिलब्धियों से हैं ।

(च). 'चिकित्सा' से अभिप्राय किसी अनुमोदित अस्पताल में बहिरंग रोगी और अन्य विशेष उपचार सहित व्यापक चिकित्सा से है जिसमे निम्नलिखित शामिल हैं : -

(i) निदान की सम्बद्ध विकृति विज्ञान, विकिरण विज्ञान और अन्य विधियॉं ।

(ii) किसी क्लिनिक अथवा किसी पंजीकृत चिकित्सक के परामर्श कक्ष में उपचार ।

(iii) यदि किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा रोगी के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखकर प्रमाणित किया जाए तो अधिकारी या कर्मचारी के घर में दिया गया उपचार ।

(iv) किसी अनुमोदित अस्पताल में बहिरंग रोगी के रूप में हुआ उपचार

(v) दवाइयॉं, टीके, सीरप अथवा अन्य उपचारार्थ पदार्थ लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होगें : -

क) विटामिन यदि इन्हें पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्धारित दवाइयों के अनुपूरक के रूप में आवश्यक प्रमाणित नहीं किया गया हैं

ख) टॉनिक

ग) शिशु आहार, दुग्ध आहार, पेय

(vi) साधारण दंत चिकित्सा लेकिन इसमें कृत्रिम दंतावली, दंत शिखर, ब्रिज वर्क, विकल दंत कार्य और अन्य विशेष दंत चिकित्सा कार्य शामिल नहीं होगें ।

(vii) ऑंखों का उपचार एवं दृष्टि परीक्षण लेकिन चश्मा नहीं दिया जाएगा

(viii) प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर उपचार !

(ix) ऐन्टीरेबिक उपचार

(x) अधिकारी अथवा कर्मचारी की स्थिति के अनुसार उचित साधारण नर्सिंग होम और अस्पताल में जगह !

3. <u>चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति</u>

(1) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी पंजीकृत चिकित्सक और/अथवा अनुमोदित अस्पताल द्वारा स्वयं के अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा उपचार पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा बशर्ते कि यह प्रतिवर्ष अधिकतम एक माह के वेतन से अधिक न हो !

(2). यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य का अंतरंग रोगी के रूप में किसी अनुमोदित अस्पताल में चिकित्सा के खर्च को पूरा करने के लिए अग्रिम भुगतान करना आवश्यक है तो उस अस्पताल से कुल संभावित खर्च का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वह अधिकारी या कर्मचारी के मासिक वेतन का अधिकतम पचास प्रतिशत अथवा चिकित्सा की प्रत्याशित लागत, जो भी कम हो, स्वीकृत कर सकता है !

4. <u>चिकित्सालय आश्रयण</u>

(1). कोई अधिकारी या कर्मचारी अथवा परिवार का कोई भी सदस्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सरकारी अस्पताल, किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाये जाने वाले अस्पताल या किसी अन्य अनुमोदित अस्पताल में अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा करा सकता है !

(2) उप-विनिमय (1) में उल्लिखित अस्पतालों में आश्रयण प्रभारों की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित सारणी में दी गई दरों के अनुसार होगी :-

कर्मचारियों की श्रेणी	सरकारी अस्पताल	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	अनुमोदित अस्पताल
घ	सामान्य वार्ड (भोजन सहित)	सामान्य वार्ड (भोजन सहित)	सामान्य वार्ड (भोजन सहित)
ग	अर्ध-भुगतान वार्ड	अर्ध-भुगतान वार्ड	अर्ध-भुगतान वार्ड
ख	निजी कमरा	निजी कमरा	निजी कमरा
क	निजी वातानुकूलित कमरा	निजी वातानुकूलित कमरा	निजी वातानुकूलित कमरा

(3). उप विनियम (1) के प्रयोजन से प्राधिकरण समय-समय पर किसी निजी अस्पताल, औषधालय, प्रसूति अथवा बाल कल्याण केंद्र अथवा क्लिनिक को अनुमोदन दे सकता है !

5. <u>विशेष रोगों का उपचार</u>

(1). विशेष बीमारियों जैसे श्रवण संबंधी बीमारी (विवृत्त श्रवण शल्यकर्म, बाई-पास आदि) कैंसर, वृक्क संबंधी रोगों, तंत्रिका शस्त्र कर्म, यक्ष्मिकीय रोगों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य ऐसे रोगों की चिकित्सा के लिए अधिकारी, कर्मचारी अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य इन विनियमों के साथ लगी अनूसूची में उल्लिखित कोई अस्पताल अथवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुसूची में अधिसूचित अथवा शामिल किए अन्य अस्पताल !

(2). यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी उप विनियम (1) के अन्तर्गत चिकित्सा कराता है तो उपचार या विकृतिजन्य जॉच जिसमें इन रोगों की दवाईयां भी शामिल होंगी, के पूरे खर्च की प्रतिपूर्ति अधिकारी या कर्मचारी को होगी !

6. <u>विदेश में उपचार</u>

(1). यदि अधिकारी अथवा कर्मचारी स्वयं अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य किसी ऐसे रोग से ग्रस्त है जिसका उपचार भारत में संभव नहीं है तो वह प्राधिकरण में इस उपचार में होने वाले खर्च की स्वीकृति के लिए आवेदन दे सकता है !

(2). उप विनियम (1) के अंतर्गत दिए आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद यदि प्राधिकरण आवेदन पत्र में दिए तथ्यों की प्रामाणिकता से संतुष्ट है तो वह इस प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाई स्थायी समिति को भूतल परिवहन मंत्रालय के माध्यम से उसे भेजेगा ! यदि स्थायी समिति खर्च के लिए अनुमोदन दे देती है और प्राधिकरण विदेश में उपचार पर होने वाले खर्च के लिए स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत है तो वह अधिकारी अथवा कर्मचारी को निहित राशि की स्वीकृति दे सकता है !

7. <u>विदेश में हुए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति</u>

यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी, प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में विदेश जाता है और उसे किसी अस्पताल में अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार लेना पडता है तो प्राधिकरण विदेश में उस अस्पताल में किए पूरे चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा !

8. <u>छूट देने की शक्ति</u>

(1). यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को -

(क). स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य को आपात स्थिति के कारण ऐसे नर्सिंग होम या अस्पताल में चिकित्सा के लिए दाखिल होना पडता है ! जो अनुमोदित अस्पताल नहीं है !

(ख) इन विनियमों के अन्तर्गत चिकित्सा खर्चे की प्रतिपूर्ति की अपनी हकदारी से अधिक खर्च कर लेता है तो अध्यक्ष मामले की प्रामाणिकता पर विचार करने के बाद इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट दे सकता है !

(2). उपविनियम (1) में दिए गए मामले की प्रामाणिकता पर विचार करने के प्रयोजन से अध्यक्ष एक समिति का गठन करेंगे जिसमें महा प्रबन्धक वित्त, महा प्रबन्धक प्रशासन, सम्बन्धित प्रभाग के महा

प्रबन्धक और उचित स्तर के चिकित्सा अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा !

(3.) जिन मामलों में अध्यक्ष द्वारा उपविनियम (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा, उनकी तिमाही रिपोर्ट सूचनार्थ प्राधिकरण के समक्ष रखी जायेगी !

9. चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा

(1). यदि पति और पत्नी दोनों प्राधिकरण की सेवा में है तो दोनों में से कोई एक इन विनियमों के अंतर्गत स्वयं और परिवार के किसी भी सदस्य के लिए लाभ का दावा कर सकता है !

(2). यदि अधिकारी अथवा कर्मचारी का पति/पत्नी सरकारी अथवा सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित किसी संगठन की सेवा में है और पति/पत्नी उन पर लागू तत्समान नियमों के अंतर्गत लाभों का दावा करता है तो अधिकारी अथवा कर्मचारी इन विनियमों के अंतर्गत लाभ का दावा नहीं करेंगे !

10. अवशिष्ट मामले

जिन मामलों के संबंध में इन विनियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, वे समय-समय पर संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 1954 और केन्द्र सरकार द्वारा इसके अधीन जारी अनुदेशों के प्रावधानों द्वारा विनियमित होंगे !

नीलम नाथ, सदस्य (वित्त एवं प्रशासन)

अनुसूची

देखें विनियम 5 (1)

विनियम 5 के प्रयोजन से प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों का विवरण

कम. सं	रोग का नाम	मान्यता प्राप्त अस्पताल
1.	हृदय एवं अन्य गंभीर रोग	एस्कोर्ट्स अस्पताल, बतरा अस्पताल, मूलचन्द अस्पताल, अपालो अस्पताल, नई दिल्ली।
2.	कैंसर	टाटा इंस्टीटयूट, मुम्बई

THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1997

The National Highways Authority of India

(Medical Attendance and Treatment) Regulation, 1997

NHAR-12011/11/95/-ADMN.—In exercise of the powers conferred by section 35 read with sub-section (1) of section 9 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations providing for the entitlement of reimbursement of expenditure incurred in medical attendance and treatment by an officer of employee of the Authority, namely :—

1. Short title, commencement and application :

(1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Medical Attendance and treatment) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to all officers and employees in whole employment of the Authority.

2. Definitions:

In these regulations, unless the context otherwise requires;

(a) "approved hospital" means a hospital, dispensary, maternity or child welfare centre or clinic approved by the Authority under sub-regulation (3) of regulation 4;

(b) "competent authority" means the Chairman or a Member or any other officer authorised as such by the Authority in this behalf;

(c) "family" in relation to an officer or employee means the wife or husband, as the case may be,. Of such officer or employee, and includes his or her -

(i) parents;

(ii) sons including adopted and step sons below the age of 25 years and daughters including adopted and step daughters who are minor, unmarried or are widowed;

IndiaCode

(iii) minor brothers and sisters, if they are fully dependent on the officer or employee.

(d) "officer or employee" means any person who is in whole time employment of the Authority;

(e) "pay" means basic pay, special pay, dearness pay or other emoluments classified as pay drawn by the officer or employee at the time of medical treatment;

(f) "medical treatment" means comprehensive medical cover involving out patient and other specialised treatment in a approved hospital and includes -

(i) connected pathological, radiological and other methods of diagnosis;

(ii) treatment at a clinic or consultation room of a registered medical practitioner;

(iii) treatment provided at the residence of the officer or employee in cases where it is certified by a registered medical practioner to be in the interest of the health of the patient;

(iv) treatment taken as an out-door patient in an approved hospital;

(v) supply of medicines, vaccines, sera or other theraupeutic substances, but does not include :-

(a) Vitamins unless certified as essential by a registered medical practitioner as a supplement to the medicines prescribed;

(b) tonics;

(c) baby food, milk food, beverages.

(vi) ordinary dental treatment but does not include supply of dentures, crown work, bridge work, orthodontic work and other specialised dental work.

(vii) treatment of eyes and testing of eyesight but does not include supply of spectacles;

(viii) pre-natal and post-natal treatment;

(ix) anti-rabic treatment;

(x) ordinary nursing and hospital accommodation appropriate to the status of the officer or employee.

3. Reimbursement of medical expenses :

(1) An officer or employee be entitled to reimbursement of expenditure incurred on medical treatment of himself and any member of his family provided by a registered medical practitioner and/ or approved hospital subject to a maximum of one month's pay per year.

(2) Where the competent authority is satisfied that it is necessary to make advance payment to meet the expenses of medical treatment in an approved hospital as an indoor patient of an officer or employee or any member of his family, it may sanction an advance not exceeding fifty per cent of the monthly pay of the officer or employee or the anticipated cost of medical treatment, whichever is less, subject to the production of a certificate from the said hospital as to the total likely expenditure.

4. Hospitalisation :

(1) An officer or employee or any member of his family may obtain medical treatment as an indoor patient in the All India Institute of Medical Sciences, a Government hospital, a hospital run by any local authority or any other approved hospital.

(2) Reimbursement on account of accommodation charges in the hospitals referred to in sub-regulation (1) shall be limited to the rates specified in the table below :-

Category of employees	Govt. Hospital	AIIMS	Approved Hospital
D.	General Ward (incl. diet)	General Ward (incl. diet)	General Ward (incl. diet)
C.	Semi-paying ward	Semi-paying ward	Semi-paying ward
B.	Private Room	Private Room	Private Room
A.	Private AC room	Private AC room	Private AC room

(3) For the purpose of sub-regulation (1), the Authority may, from time to time, approve any private hospital, dispensary, maternity or child welfare centre or clinic.

5. Treatment for special diseases:

(1) For medical treatment of special diseases relating to heart (open heart surgery, by-pass, etc.) cancer, diseases related to kidney, neuro-surgery, tubercular diseases and such other diseases as may be notified by the Authority from time to time, the officer or employee or any member of his family may take indoor treatment from one of the hospitals specified in the Schedule annexed to these regulations or

such other hospitals as may be notified and added to the said Schedule by the Authority from time to time.

(2) Where an officer or employee takes medical treatment under sub-regulation (1), full expenses for treatment or pathological tests including medicines relating to such diseases shall be reimbursed to the officer or employee.

6. Treatment abroad:

(1) An officer or employee, if he or any member of his family is suffering from a disease, the treatment of which is not available in India, may make an application to the Authority to sanction the expenditure involved in such treatment.

(2) After considering the application under sub-regulation (1), if the Authority is satisfied about the genuines of the facts stated in the application, it may make a reference to the Standing Committee constituted by the Ministry of Health and Family Welfare for the purpose through the Ministry of Surface Transport that the Standing Committee has approved the expenditure and the Authority is authorised to sanction the expenditure involved in treatment abroad, it may sanction the amount to the officer or employee.

7. Reimbursement of medical expenses incurred abroad:

When an officer or employee undertakes tour abroad in connection with the affairs of the Authority and is compelled to take medical treatment as an indoor patient in a hospital, the Authority shall reimburse the entire medical expenditure incurred abroad in such hospital.

8. Power to relax:

(1) Where an officer or employee-

(a) has been compelled because of emergency to take medical treatment in nursing home or hospital which is not an approved hospital, for himself or any member of his family;

(b) exceed his entitlement of reimbursement of medical expenses under these regulations, the Chairman may, after considering the genuiness of the case, relax any of the provisions of these regulations.

(2) For the purpose of considering the genuiness of a case referred to in sub-regulation (1), the Chairman may constitute a Committee of officers consisting of General Manager (F&A), General Manager (Admn.), General Manager of appropriate division and a medical officer of an apparopriate rank to be nominated by the Chairman.

2309 GI/97-2

(3) A quarterly report of the cases in which the powers under sub-regulation (1) have been exercised by the Chairman shall be placed before the Authority for information.

9. Claim of medical reimbursement :

(1) Where both the husband and the wife are in the service of the Authority, either of the spouses may claim the benefits under these regulations for himself and any member of the family.

(2) Where the spouse of the officer or employee is in the service of the Government or an organisation owned or controlled by the Government and such spouse claims the benefits under the corresponding rules applicable to them for himself or any member of his family, the officer or employee shall not claim the benefits under these regulations.

10. Residuary matters:

Matters with respect of which no specific provisions have been made in these regulations, shall be regulated under the provisions of the Central Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1954, as amended from time to time, and the instructions issued thereunder by the Central Government.

NEELAM NATH, Member (Finance and Administration)

THE SCHEDULE

[See regulation 5(1)]

Details of Hospitals recognised by the Authority for the purpose of regulation 5.

Sl. No.	Name of the disease	Recognised Hospitals
1.	Heart and other serious diseases	Escorts Hospital Batra Hospital Moolchand Hospital, New Delhi Apollo Hospital
2.	Cancer	Tata Institute, Bombay

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997